न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30 / 2025 **दायर दिनांकः 09.04.2025**

उनवान

1. सत्तुबाई उर्फ संतोषबाई आयु 66 वर्ष पुत्री गोपीलाल पत्नि भोलाराम जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू हाल निवासी गजनपुरा जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा पटवार क्षेत्र ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 19 के ख0नं0 147 रकबा 0.96 है०, ख0नं0 156 रकबा 2.19 है०, ख0नं0 157 / 1248 रकबा 0.19 है०, ख0नं0 158 / 1236 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 160 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 161 रकबा 0.14 है०, ख0नं0 162 रकबा 0.09 है० किता 7 रकबा 3.66 हैं० आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम सत्तुबाई दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सत्तुबाई दर्ज है तथा जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम संतोषबाई हैं। प्रार्थिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थिया के परिवार ने प्रार्थिया का बोलता नाम सत्तुबाई लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे सत्तुबाई दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, तथा अन्य दस्तावेजों मे प्रार्थिया का नाम संतोषबाई है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थिया को बैंक

आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने मे कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम सत्तुबाई के स्थान पर संतोषबाई दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.01. 2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सत्तुबाई के स्थान पर संतोषबाई दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 सत्तु बाई उर्फ संतोष बाई पुत्री गोपीलाल पत्नी भोलाराम जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू, Pw2 केलाश बाई पुत्री गोपीलाल निवासी छजावा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल छजावा पटवार हल्का ढोटी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 19, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल छजावा सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 19 में सहखातेदार प्रार्थीया की बहिन केलाश बाई पुत्री गोपीलाल निवासी छजावा ने भी सत्तु बाई का नाम संतोष बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल छजावा पटवार क्षेत्र ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 19 के ख0नं0 147 रकबा 0.96 है०, ख0नं0 156 रकबा 2.19 है०, ख0नं0 157/1248 रकबा 0.08 है०, ख0नं0 158/1236 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 160 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 161 रकबा 0.14 है०, ख0नं0 162 रकबा 0.09 है० किता 7 रकबा 3.66 हैं० आराजी में सह खातेदार सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर संतोष बाई उर्फ सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल छजावा पटवार क्षेत्र ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 19 के ख0नं0 147 रकबा 0.96 है०, ख0नं0 156 रकबा 2.19 है०, ख0नं0 157/1248 रकबा 0.08 है०, ख0नं0 158/1236 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 160 रकबा 0.16 है०, ख0नं0 161 रकबा 0.14 है०, ख0नं0 162 रकबा 0.09 है० किता 7 रकबा 3.66 हैं० आराजी में सह खातेदार सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर संतोष बाई उर्फ सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां